प्रेषक,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, सूचना एवं जन संम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 /

लखनऊ, दिनाकः \ पु जुलाई, 2023

विषय:—Extension of timeline for submission of claim documents pertaining to Pradhan Mantri Garib Kalyan Package(PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19 - reg.

महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या—जेड0 21020/16/2020—पीएच, दिनांक 12.07.2023(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड—19 से आच्छादित क्लेम के निस्तारण हेतु दिनांक 31.07.2023 तक अन्तिम समयसीमा निर्धारित की गयी है, तद्नुसार समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञिप्त प्रकाशित करायी जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उप सचिव, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 12.07.2023 के अनुक्रम में संलग्न प्रेस विज्ञप्ति संख्या—अ0नि0(का0) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 / 2.2 दिनांक । प जुलाई, 2023 को प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों(तीन हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा० रेनू श्रीबास्तव वर्मा) महानिदेशक

पत्र संख्या—अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 / 3 10 - 212

तद्दिनांकः

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— 1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

अनुख सायप्रसायव, ायाकरसा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 विशेष सचिव/राज्य नोडल अधिकारी(पीएमजीकेपी), उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग–1

3. निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को उपरोक्त की प्रति संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर तत्काल आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(डा० राजागणपित आर०) आई०ए०एस०

निदेशक(प्रशासन)

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ। पत्र संख्या—अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / २०२३ / 🕉 🗞

लखनऊ, दिनाकः 14 जुलाई, 2023

ः प्रेस विज्ञप्तिःः

अवगत कराना है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइंटिंग कोविड-19 से आच्छादित क्लेम के निस्तारण हेतु उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या—जेड० 21020/16/2020—पीएच, दिनांक 12.07.2023 द्वारा निम्नवत् समयसीमा निर्धारित

"Please refer to this Ministry's letter of even number dated 14.10.2022 (copy enclosed) in the subject matter vide which it was informed that the timeline for submission of claim documents pertaining to 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package(PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-'19'to the New India Assurance Company Ltd.

However, a number of references from the State/UT governments were received informing thereby about delay on their part in submission of eligible claims to NIACL as per the above prescribed timeline. It was also requested to this ministry to extend the timeline so that eligible claims could be submitted with NIACL by them.

The matter has been considered in this ministry and in view of the above said circumstances; the competent authority has decided to extend the timeline for submission of claims with NIACL till 31.7.2023. All concerned State/UT authorities are, therefore, requested to abide by the revised timeline. The States/UTs are also requested to give a suitable public notice in this regard in newspapers having wide circulation for information of the stakeholders."

उक्त पत्र दिनांक 12.07.2023 में निर्धारित समयसीमा दिनांक 31.07.2023 से पूर्व क्लेम से संबंधित पत्रावली मूलरूप में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को महानिदेशालय के पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

उपरोक्त' के संबंध में पत्र एवं अपेक्षित अभिलेखों से संबंधित सूचनायें विभागीय वेबसाइट:http://dgmhup.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रेषक.

महानिदेशक. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी. उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 / 9_9

लखनऊ, दिनाकः १८ जुलाई, 2023

विषय:- Extension of timeline for submission of claim documents pertaining to Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19 - reg.

महोदय

कपया उपरोक्त विषयक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेडं० २१०२० / १६ / २०२०-पीएच, दिनांक १२.०७.२०२३(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19 से आच्छादित क्लेम के निस्तारण हेत् निम्नवत समयसीमा निर्धारित किया गया है:-

"Please refer to this Ministry's letter of even number dated 14.10.2022 (copy enclosed) in the subject matter vide which it was informed that the timeline for submission of claim documents pertaining to 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package(PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-'19'to the New India Assurance Company Ltd. (NIACL) was till '15.01 .2023.

However, a number of references from the State/UT governments were received informing thereby about delay on their part in submission of eligible claims to NIACL as per the above prescribed timeline. It was also requested to this ministry to extend the timeline so that eligible claims could be submitted with NIACL by them.

The matter has been considered in this ministry and in view of the above said circumstances; the competent authority has decided to extend the timeline for submission of claims with NIACL till 31.7.2023. All concerned State/UT authorities are, therefore, requested to abide by the revised timeline. The States/UTs are also requested to give a suitable public notice in this regard in newspapers having wide circulation for information of the stakeholders."

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त दिनांक 12.07.2023 में निहित निर्देशानुसार आपके जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19 से आच्छादित दावों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलाधिकारी प्रमाण-पत्र (मूलरूप में) के साथ समस्त अभिलेखों(संलग्न बिन्दुओं पर) को स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित / प्रमाणित करते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक 15.07.2023 को साय तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से अपर निदेशक(कार्मिक) / नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कक्ष में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि दावों को यथाशीघ्र शासन से अनुमोदन / प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निर्धारित समयावधि दिनांक 31.07.2023 से पूर्व वरिष्ठ प्रबन्धक, दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, लखनऊ को प्राप्त कराया जा सके।

उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके स्तर से निर्धारित समयावधि में क्लेम से संबंधित पत्रावली मूलरूप में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 तक प्राप्त नहीं करायी जाती है तथा शासन_व दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने में होने वाले विलम्ब अथवा किसी प्रकार के वार्द्र की स्थिति

उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(डा० राजागणित आर०) आई०ए०एस० निदेशक(प्रशासन)

पत्र संख्या-अ0नि0(का0) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 /

तददिनांकः

- प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- विशेष सचिव / राज्य नोडल अधिकारी(पीएमजीकेपी), उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र, लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- महाप्रबन्धक, दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
- वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक, दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ।
- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ०प्र०।

(डा० राजागणित आर०) आई०ए०एस०

निदेशक(प्रशासन)

प्रेषक

महानिदेशक. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में.

समस्त मुख्य विकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या—अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 /

लखनऊ, दिनाकः 1-3 जुलाई, 2023

विषय:— Extension of timeline for submission of claim documents pertaining to Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19 - reg.

कृपया उपरोक्त विषयक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या—जेड० 21020 / 16 / 2020—पीएच, दिनांक 12.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19 से आच्छादित क्लेम के निस्तारण हेतु निम्नवत् समयसीमा निर्धारित किया गया है:-

"Please refer to this Ministry's letter of even number dated 14.10.2022 (copy enclosed) in the subject matter vide which it was informed that the timeline for submission of claim documents pertaining to 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-'19'to the New India Assurance Company Ltd. (NIACL) was till '15.01 .2023.

However, a number of references from the State/UT governments were received informing thereby about delay on their part in submission of eligible claims to NIACL as per the above prescribed timeline. It was also requested to this ministry to extend the timeline so that eligible claims could be submitted with NIACL by them.

The matter has been considered in this ministry and in view of the above said circumstances; the competent authority has decided to extend the timeline for submission of claims with NIACL till 31.7.2023. All concerned State/UT authorities are, therefore, requested to abide by the revised timeline. The States/UTs are also requested to give a suitable public notice in this regard in newspapers having wide circulation for information of the stakeholders."

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त दिनांक 12.07.2023 में निहित निर्देशानुसार आपके जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड—19 से आच्छादित दावों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलाधिकारी प्रमाण—पत्र (मूलरूप में) के साथ समस्त अभिलेखों(संलग्न बिन्दुओं पर) को स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित / प्रमाणित करते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक 15.07.2023 को साय तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से अपर निदेशक(कार्मिक) / नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कक्ष में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि दावों को यथाशीध शासन से अनुमोदन / प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निर्धारित समयाविध दिनांक 31.07.2023 से पूर्व वरिष्ठ प्रबन्धक, दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, लखनऊ को प्राप्त कराया जा सके।

उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके स्तर से निर्धारित समयाविध में क्लेम से संबंधित पत्रावली मूलरूप में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 तक प्राप्त नहीं करायी जाती है तथा शासन व दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने में होने वाले विलम्ब अथवा किसी प्रकार के वाद की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

मवदीय.


(डा० राजागणपित आर०) आई०ए०एस० निदेशक(प्रशासन)

पत्र संख्या—अ०नि०(का०) / कैम्प / पीएमजीकेपी / 2023 / 300 ~ 30 > प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- विशेष सचिव / राज्य नोडल अधिकारी(पीएमजीकेपी), उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग—1
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ७०प्र, लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- महाप्रबन्धक, दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

7. वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक, दि न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय, हजरतगंजु लोबनक। समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्स

(डा० राजागणपित आर०) आई०ए०एस० निदेशक(प्रशासन)



F.No. Z.21020/16/2020-PH

Government of India
Department of Health & Family Welfare
(Ministry of Health & Family Welfare)

9th Floor, Chandralok Building, 36-Janpath, New Delhi – 110001 Dated, 12-07-2023

To

The Additional Chief Secretaries (Health)/Principal Secretaries (Health)/ Secretaries (Health) of all States & UTs

Sub: Extension of timeline for submission of claim documents pertaining to Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19 - reg.

Sir.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 14.10.2022 (copy enclosed) in the subject matter vide which it was informed that the timeline for submission of claim documents pertaining to 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19' to the New India Assurance Company Ltd. (NIACL) was till 15.01.2023.

However, a number of references from the State/UT governments were received informing thereby about delay on their part in submission of eligible claims to NIACL as per the above prescribed timeline. It was also requested to this ministry to extend the timeline so that eligible claims could be submitted with NIACL by them.

The matter has been considered in this ministry and in view of the above said circumstances, the competent authority has decided to extend the timeline for submission of claims with NIACL till 31.7.2023. All concerned State/UT authorities are, therefore, requested to abide by the revised timeline. The States/UTs are also requested to give a suitable public notice in this regard in newspapers having wide circulation for information of the stakeholders.

Yours faithfully

(Rajender Kumar)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Copy for information and further necessary action:-

1. The Chairman & Managing Director, New India Assurance Company Ltd., Mumbai 2. State Nodal Officers (PMGKP) - All States & UTs

2.Sta

THE NO.Z:Z1UZU/16/ZUZU-PH

No. Z.21020/16/2020-PH

Government of India
Department of Health & Family Welfare
(Ministry of Health and Family Welfare)
(National Aids Control Organization)

9th Floor, Chanderlok Building 36- Janpath. New Delhi Dated: 14th October, 2022

To.

The Nodal Officers of all States/UTs

Subject: Pradhan Mantri Garib Kalyan Package - Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19

Sir.

Please refer to this Ministry's D.O Letter No. F.No. Z-18016/1/2020/PMGKP-NHM-II dated 3rd April 2020 regarding *Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers fighting Covid-19*" providing an insurance cover of Rs. 50 lakh to the health workers fighting Covid-19. The scheme has been implemented through procuring an insurance policy from M/s New India Assurance Company Ltd. (NIACL). The insurance policy is valid till 15th October, 2022.

As Covid infection in the country has now subsided considerably, it has been decided by the Competent Authority to not extend the said insurance scheme further. Accordingly, all the claims pertaining to aforementioned policy period (24th April 2021 to 15th October 2022) would be accepted by NIACL for settlement till 15th January, 2023. It is requested that eligible claims be sent to NIACL for timely settlement.

Yours faithfully,

(Rajender Kumar)

Deputy Secretary to Govt. of India

Copy for information to:

Addl. Chief Secretaries(Health)/Pr. Secretaries(Health) of all States/UTs.

2. Shri V.K. Lodha, Dy. General Manager, NIACL, New Delhi.

कोविड—19 से हुई मृत्यु के पश्चात् प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फार हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड—19 के अन्तर्गत इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित प्रपत्रों का विवरण:—

- 1. जिलाधिकारी प्रमाण पत्र(नाम, तिथि एवं मुहर सहित मूलरूप में)
- 2. आवेदन पत्र फार्म-1/फार्म-2 की सत्यापित प्रति।
- 3. आधार कार्ड की सत्यापित प्रति (मृतक व दावाकर्ता)
- 4. पैन कार्ड की सत्यापित प्रति (मृतक व दावाकर्ता)
- 5. कैन्सिल चेक की सत्यापित प्रति।
- 6. पास बुक की सत्यापित प्रति।
- 7. ई-सर्विस बुकी की सत्यापित प्रति।
- 8. लैब रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
- 9. डेथ समरी की सत्यापित प्रति।
- 10.ट्रीटमेन्ट चार्ट की सत्यापित प्रति।
- 11.कोविड ड्यूटी आर्डर की सत्यापित प्रति।
- 12.डेथ सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति।
- 13.मृतक का नियुक्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 14.कोविड ड्यूटी सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति।
- 15.सम्बन्ध प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।